राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1145/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पी.आर.एस. टायर्स लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–तृतीय, उदयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/07/2014	**एकलपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.07.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–तृतीय, उदयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 2,17,771/– व कर रूपये 1,01,626/– कुल रूपये 3,19,397/– की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर राशि रूपये 1,01,626/– की वसूली स्थगित करते हुए शेष राशि के स्थगन से इंकार किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज उपलब्ध थे, जो सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। केवल मात्र घोषणा–पत्र वैट–47 कालातीत होने के आधार पर शास्ति व कर का आरोपण अनुचित है; जबकि सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा नया घोषणा–पत्र फॉर्म ई–47ए240614180349 भी प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 76(6) के तहत शास्ति आकर्षित नहीं होती है। तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय **(2013) 37 टैक्स अपडेट 227 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम कांकरिया मशीनरी स्टोर, जोधपुर** तथा **(2013) 37 टैक्स अपडेट 94 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड** को उद्धरित किया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति व कर का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है, साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल कर राशि की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करते हुए शास्ति **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1145/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पी.आर.एस. टायर्स लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–तृतीय, उदयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/07/2014	राशि पर स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि रूपये 2,07,374/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने शास्ति आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच कालातीत घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि से कालातीत हो चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त घोषणा–पत्र को पुनर्विधिमान्य भी नहीं कराया जा सकता था। जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया घोषणा–पत्र नया जारी करवाकर प्रस्तुत किया गया है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611** के आलोक में स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णय भिन्न तथ्यों के कारण लागू नहीं होते हैं। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति व कर का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा कर राशि का स्थगन प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी की अपील/स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनने एवं अपील आधारों का अवलोकन करने के पश्चात प्रकरण में विवादित शास्ति अन्तर्गत धारा 76(6) के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अधिकतम राशि का स्थगन प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के **गुणावगुण को प्रभावित किये बिना** शेष राशि की वसूली पर रोक बाबत अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	